बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फैक्स नं :– 0151–2226906, फोन नं :–0151–2226902, 0151–2226905,

EMAIL ADDRESS :-nagarnigambikaner@gmail.com,Website :-bikanermc.org

क्रमांक / न.नि.बी / भूमि विक्रय / 2026 / 1179 दिनांकः– 22/01/2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बीकानेर नगर निगम की विभिन्न आवासीय योजनाओं के निम्नलिखित भूखण्डों की ई–नीलामी के माध्यम से उनके सम्मुख अंकित दिवसों पर ई–नीलामी, ई–ऑक्शन पोर्टल http//lsgeauction.rajasthan.gov.in के माध्यम से राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार फ्री–होल्ड राईट्स के आधार पर की जावेगी।

ई–नीलामी के माध्यम नीलामी में विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रं. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड सं.	भूखण्ड का माप	भूखण्ड का क्षे. (वर्गफुट)	अमानत राशि	प्रारंभिक बोली दर (प्रति वर्गफुट)	अमानत राशि जमा करवाने की अंतिम दिनांक व समय (11:59PM)	नीलामी बोली समाप्ति की दिनांक व समय (11:00 AM)
01.	सालमनाथ नगर आवासीय योजना (खसरा नं. 44 व 45 सरह स्वरूपदेसर नजदीक सुजानदेसर गांव)	130	15'–0"X30'–0"	450 वर्गफुट	6,300 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		152	15'–0"X30'–0"	450 वर्गफुट	6,300 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		96	23'–9"X45'–0"	1068.75 वर्गफुट	14,963 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		121 (कार्नर भूखण्ड)	25'–0"X50'–0"	1250 वर्गफुट	19,250 रूपये	780 रूपये	13.02.26	18.02.26
		1	{(40'+65')/2}X 50'	2625 वर्गफुट	36,750 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		28 (त्रिभुजाकार भूखण्ड)	(40'–0"X50'–0") / 2	1000 वर्गफुट	14000 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		80	25'–0"X50'–0"	1250 वर्गफुट	17,500 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		81	25'–0"X50'–0"	1250 वर्गफुट	17,500 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		82	25'–0"X50'–0"	1250 वर्गफुट	17,500 रूपये	710 रूपये	13.02.26	18.02.26
		83, (कार्नर भूखण्ड)	25'–0"X50'–0"	1250 वर्गफुट	19,250 रूपये	780 रूपये	13.02.26	18.02.26

02.	कान्ता खतूरिया कॉलोनी	ए–157–ए (कार्नर भूखण्ड)	50'–0''X40'–0''	2,000 वर्गफुट	2,64,000 रूपये	6,610 रूपये	13.02.26	18.02.26
		ए–157–बी	50'–0''X40'–0''	2,000 वर्गफुट	2,40,000 रूपये	6,010 रूपये	13.02.26	18.02.26

नोटः–

01 अमानत राशि ई–नीलामी पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करवाने की प्रारम्भिक दिनांक 04.02.2026 समय 11.00 AM से दिनांक 13.02.2026 समय 11.59 PM तक एवं ऑनलाईन बोली लगाने की प्रारम्भिक दिनांक 06.02.2026 समय 11.00 AM से 18.02.2026 समय 11.00 AM तक।

शर्तेः–

01. मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्डों का माप/क्षेत्रफल घट–बढ़ सकता है।
02. नीलामी ई–ऑक्शन के माध्यम से रखी गई है, नीलामी में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो नीलामी के लिए उपरोक्त अमानत राशि NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से जमा करवाई जा सकेगी।
03. बोलीदाता द्वारा बोली लगाये जाने पर माना जायेगा कि उसको नीलामी की सभी शर्तें स्वीकार है।
04. अंतिम बोलीदाता को भूखण्ड की 15 प्रतिशत नीलामी राशि NEFT/RTGS/Net Banking के माध्यम से तीन कार्य दिवस में जमा करवानी होगी। अन्यथा जमाशुदा धरोहर राशि जब्त करके नीलामी रद्द कर दी जायेगी।
05. भूखण्ड का सैटबैक और निर्माण योग्य क्षेत्र पूर्व में निर्धारित होते हैं। जिसको तदानुसार रखा जाकर कार्यालय से निर्माण स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कराया जा सकता है।
06. भूखण्ड की राशि अनुमोदन उपरान्त जारी मांग पत्र में वर्णित शर्त अनुसार जा करवानी होगी।
07. भूखण्ड की नीलामी के वक्त भूखण्ड जिस हालात में होगा उसी हालात में नीलाम किया जायेगा एवं भूखण्ड का जो माप मौके पर होगा वहीं मान्य होगा।
08. आयुक्त नगर निगम बीकानेर को बिना कोई कारण बताये नीलामी स्वीकृत एवं निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
09. नीलामी से क्रय शुदा भूखण्डों पर प्रभावशील भूमि निष्पादन नियम 1974 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र एवं आदेश एवं भवन विनियम के सभी प्रावधान लागू होंगे।
10. ई–नीलामी (ऑनलाईन) से संबंधित समस्त विवरण पोर्टल lsgeauction.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। अन्य जानकारी एवं मानचित्र आदि कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।
11. बोलीदाता द्वारा आवासीय भूखण्ड पर 10 रूपये प्रत्येक उच्चतम बोली पर गुणांक में लगाई जानी आवश्यक होगी।
12. स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 30.10.2021 एवं नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक जयपुर, दिनांक 16.09.2019 के अनुसार नीलामी की शर्तें अध्यधीन रहेगी जिसके लिये क्रेता पाबंद रहेगा।

प्रशासक
नगर निगम बीकानेर

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर

—: नीलामी के नियम व शर्तें :—

1 प्रत्येक भूखण्ड हेतु निर्धारित EMD(अमानत राशि) जमा कराने के उपरान्त ही बोली लगाई जा सकती है। पृथक–पृथक भूखण्ड की बोली में भाग लेने हेतु EMD (अमानत राशि) पृथक–पृथक जमा करवानी होगी।

2 जिस व्यक्ति के नाम से अमानत राशि ऑनलाईन जमा करवाई जावेगी नगर निगम द्वारा उसी व्यक्ति के नाम का पट्टा जारी किया जावेगा। नाम में किसी प्रकार का संशोधन नही किया जावेगा।

3 सर्वोच्च बोलीदाता को नीलामी की तिथि से तीन कार्य दिवसों के भीतर अपनी बोली राशि का 15% जमा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर उक्त राशि जमा न किए जाने की स्थिति में, बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी तथा भूमि की नीलामी स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

4 बोली नीलामी की तिथि से पाँच कार्य दिवसों के भीतर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत की जाएगी तथा बोली की स्वीकृति की तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर मांग–पत्र (डिमांड नोट) जारी किया जाएगा।

5 बोली की स्वीकृति प्रशासक एवं आयुक्त नगर निगम बीकानेर के अनुमोदन के अधीन होगी, जिन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

6 बोली की स्वीकृति के पश्चात सफल बोलीदाता को नीलामी की तिथि से 120 दिनों के भीतर बोली राशि का 35% जमा करना होगा। यदि बोलीदाता निर्धारित अवधि में उक्त राशि जमा करने में असफल रहता है, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अगले 60 दिनों के भीतर अथवा धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार विस्तारित अवधि में, नीलामी की तिथि से शेष राशि पर 9% वार्षिक ब्याज सहित देय राशि जमा कर सकेगा।

7 सफल बोलीदाता को नीलामी की तिथि से 180 दिनों के भीतर शेष 50% बोली राशि जमा करनी होगी। यदि वह निर्धारित अवधि में उक्त राशि जमा करने में असफल रहता है, तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात अगले 90 दिनों के भीतर, नीलामी की तिथि से शेष राशि पर 9% वार्षिक ब्याज सहित देय राशि जमा कर सकेगा।

8 यदि सफल बोलीदाता मांग–पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूरी बोली राशि जमा करता है, तो उसे कुल बोली राशि पर 1% की छूट प्रदान की जाएगी।

9 विस्तारित समयावधि में भी देय राशि जमा न किए जाने की स्थिति में, प्रारंभ में जमा की गई 15% राशि जब्त कर ली जाएगी तथा भूमि की नीलामी स्वतः निरस्त मानी जाएगी।

10 भूखण्ड फ्री होल्ड पर अरबन सेटलमेन्ट ग्राउण्ड रेट के आधार पर विकय किया जावेगा जिसकी लीज राशि आवासीय भूखण्ड पर आरक्षित दर की 25 प्रतिशत नियमानुसार केता द्वारा जमा करवानी होगी।

11 लीजडीड शाश्वत् पत्र का विधिवत पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा जिसकी स्टाम्प व नक्शा एवं रजिस्ट्री का व्यय भूखण्ड केता का होगा।

7

12 बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्रशासक एवं आयुक्त नगर निगम बीकानेर के पास सुरक्षित रहेगा जिसका कारण बताना आवश्यक नही होगा।

13 भूमि का मानचित्र एवं शर्ते/प्रतिबन्ध व समस्त जानकारी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय सूचना पट्ट पर देखी जा सकेगी।

14 उपरोक्त भूखण्डों का मौके पर क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अन्तर–राशि जमा करानी होगी। सड़क मार्गाधिकार अनुमोदित योजना मानचित्र के आधार पर अंकित की गई है, जो कि मौके पर कम या ज्यादा प्राप्त हो सकती है।

15 समयावधि घटाने–बढाने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

16 पोर्टल पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करने एवं राशि जमा करवाने की जिम्मेदारी स्वयं बोलीदाता की होगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं असफल भुगतान/गलत भुगतान की कोई भी जिम्मेदारी नगर निगम बीकानेर की नही होगी।

17 नीलामी पोर्टल पर अंकित भूखण्ड के **latitude@longitude** केवल बोलीदाता की सुविधा हेतु भूखण्ड तक पहुँच के सन्दर्भ मात्र के लिये है। इसके आधार पर भूखण्ड के सीमा का दावा मान्य नही है।

18 पॉर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने हेतु पोर्टल पर उपलब्ध "User Guide For Bidder" दस्तावेज आवश्यक रूप से पढ़े। https://lsgeauction.rajasthan.gov.in/Portal/ShowDocument?q=5anzxGfa84Bpx9FaWX6tDA==

19 नीलामी बोलीदाताओं को रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 रूपये एवं अमानत राशि ऑनलाइन पोर्टल **lsgeauction.rajasthan.gov.in** पर जमा करवाने पर ही नीलामी की बोली में मान्य किया जावेगा। नीलामी से संबंधित समस्त विवरण पोर्टल lsgeauction.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। इच्छुक नीलामी बोलीदाताओ को अपने user id एवं password प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक है।

20 भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 14 ए में नीलामी की दिनांक से, नियम 17 में कब्जा प्राप्त करने की दिनाक से 07 वर्ष में निर्माण करना आवश्यक है। स्वतंत्र भूखण्ड मे एक आवासीय इकाई निर्माण करना आवश्यक है। 7 वर्ष पश्चात् निरस्त भूखण्ड की निर्माण अवधि विस्तार पर नियमानुसार पुर्नग्रहण शुल्क देय है।

21 भूखण्ड नीलामी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 एवं राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निष्पादन नियम) 1974, एवं विभागीय आदेशों एवं परिपत्रों के अध्यधीन होगी।

22 बोली प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत हेतु विभाग द्वारा अधिकृत ई–मेल **DLBSUPPORT@E-connectsolutions.com** पर सम्पर्क करें। नगर निगम, बीकानेर द्वारा किसी भी प्रकार की मौखिक/लिखित शिकायत स्वीकार नही की जायेगी।

प्रशासक
नगर निगम बीकानेर

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर